

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

मि0न0 393/2025

1 सुधीर पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

- बनाम
जाति नायक निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
1. लालचंद पुत्र पेमाराम
 2. कृष्ण कुमार पुत्र पेमाराम
 3. विद्यादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी रणजीत जाति नायक निवासी भाम्भूवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 4. मोहिनी पुत्री पेमाराम पत्नी भागीरथ जाति नायक निवासी 22 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 5. सरोज पत्नी रामकुमार जाति नायक निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 6. मन्जू पुत्री रामकुमार पत्नी राजेन्द्र जाति नायक निवासी 7 डी.डबल्यू एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
 7. सुनिता पुत्री रामकुमार पत्नी विनोद जाति नायक निवासी 7 डी.डबल्यू एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकन0 6 जीजीआर के खाता सं0 145/128 मे कुल .848 है0 आराजी के वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 6 जीजीआर के खाता सं0 145/128 मे से पेमाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।